क्या आप सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित और समावेशी बनाना चाहते हैं?
- कुछ आसान तरीके

यह पुस्तिका सार्वजनिक जगहों के सभी उपेक्षित हक़दारों को समर्पित है।

संकल्पना और विषय सामग्रीः अमृता ठाकुर, जया वेलणकर, श्रुति बत्रा

चित्रांकन व लेआउटः ऐश्वर्या अशोक व महावीर सिंह

आभारः इस गाइडबुक को तैयार करने में जागोरी के हमारे पुराने साथी प्रवीना, मधुबाला और सेफ्टीपिन की साथी सोनाली के समय-समय पर मिले सहयोग के हम आभारी हैं।

सीमित वितरण के लिए

प्रकाशनः जागोरी

परिचय

मार्गदर्शिका के विषय में

यह मार्गदर्शिका महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर/गांव बनाने की प्रक्रिया का व्यापक परिचय प्रदान करती है। एक सुरक्षित और समावेशी शहर- गांव -पंचायत के निर्माण के लिए व्यावहारिक साधनों का उल्लेख करती है। इस मार्गदर्शिका में शामिल जानकारी विश्व स्तर पर ज़मीनी काम की गहरी समझ व शोध अध्ययन तथा भारत में जागोरी के काम पर विशेष रूप से केन्द्रित की गई है। इसमें शामिल टूल्स जागोरी की इस मुद्दे पर बनी गहरी समझ, अनुभव व ज़रूरतों से निर्मित हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके जागोरी, लंबे समय से महिला सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों तक महिलाओं व लड़कियों की पहुंच के मुद्दे पर जागरूकता लाने, और इसके लिए शहर, पंचायत की नीतियों व योजनाओं में बदलाव के लिए प्रयासरत् है। इस मुद्दे पर किए गए काम के लंबे दौर में जागोरी ने यही सीखा है कि महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित शहर व गांव का निर्माण संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मार्गदर्शिका सार्वजनिक स्थानों तक महिलाओं व लड़कियों की पहुंच और इन स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए ज़मीन तैयार करने में मददगार साबित होगी।

यह मार्गदर्शिका किसके लिए है?

यह मार्गदर्शिका न केवल महिला सुरक्षा के मुद्दे को, बल्कि सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी प्रकाश डालती है। जब हम महिलाओं और लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वे कौन सी बाधाएं हैं जो इस पहुंच को प्रभावित कर रही हैं। हमें उन बाधाओं को संबोधित करना होगा, उन्हें दूर करने की रणनीति पर विचार करना होगा। यह मार्गदर्शिका इसी मकसद के साथ तैयार की गई है। यह उन व्यक्तियों और संगठनों के लिए है जो इस मकसद को पूरा करने में जागोरी का साथ देना चाहते हैं- सहजकर्ता, विद्यार्थी से लेकर आम व्यक्ति इस मार्गदर्शिका में दिए गए टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आस पास के क्षेत्र को महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

इस मार्गदर्शिका का कैसे इस्तेमाल किया जाए?

यह मार्गदर्शिका सुरक्षित शहरों पर काम का परिचय देने के अतिरिक्त सुरक्षित शहरों पर काम की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली संदर्भ सामग्री व टूल्स भी है। हमारा सुझाव है कि इन टूल्स को अच्छी तरीके से समझें और यह भी ध्यान में रखें कि इनके इस्तेमाल का आपका मकसद क्या है। जितनी बार

बेफ़िक्र राहें, हम भी चाहें

जागोरी

आप इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही इस विषय की ज़्यादा से ज़्यादा परतें आपके सामने खुलती जायेंगी। उदाहरण के तौर पर आपने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फ़ोकस समूह चर्चा रखी, जितनी बार इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लोग अपने अनुभव सामने रखेंगे, सुरक्षा के कई पहलू आपके सामने आयेंगे। लेकिन आपको इस टूल्स का इस्तेमाल करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि चर्चा अपने मुद्दे से अलग हो कर अपना मकसद न खो दें। इन सभी टूल्स में ज़रूरत के अनुसार बदलाव किए जाने की क्षमता भी है। जगह, समय क्षेत्र, परंपरा, संस्कृति, भाषा सभी स्थितियों के अनुसार टूल्स में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इन टूल्स को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की महिला सुरक्षा संबंधी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए।

हिंसा विरोधी अभियान में पुरुष हमारा साथ दें

Jagori

अध्यायः 1

महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी शहर क्या है?

» महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर व गांव निर्माण, सार्वजनिक जगहों तक महिलाओं व लड़कियों की पहुंच जैसे मुद्दों को यह मार्गदर्शिका संबोधित करती है। एक सुरक्षित और समावेशी शहर या गांव में, महिलाएं और लड़कियां हिंसामुक्त और हिंसा के डर व ख़तरों से आज़ाद होती हैं, जहां वे सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल बिना किसी डर व झिझक के कर सकती हों, इन जगहों के इस्तेमाल पर समय, वज़ह आदि की पाबंदी न लगी हो।

वे कौन से कारक हैं जो सार्वजनिक स्थानों तक महिलाओं की पहुंच को प्रभावित करते हैं?

» सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी व पहुंच, समय, जगह व वज़ह जैसे कारकों पर निर्भर करती है। महिलायें अक्सर खुद को तथा समाज उन्हें, सार्वजनिक स्थलों या जगहों के अवैध इस्तेमालकर्ता के रूप में देखता है। बिना रोकटोक के सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल के लिए उनके पास जायज़ कारण होना चाहिए। हिंसा की संभावना का डर उनके रहने, काम करने की जगह, यातायात, उम्र, वर्ग, रोज़गार, वैवाहिक दर्ज़ा, विकलांगता आदि पहचानों से भी प्रभावित होती हैं। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के लिए पितृसत्ता तो ज़िम्मेदार है ही, इसके अलावा हिंसा को सतत् बनाए रखने वाले कारकों की पहचान भी ज़रूरी हैं। ये कारक सार्वजनिक स्थलों को असुरक्षित बनाते हैं तथा हिंसा व हिंसा के डर से सार्वजनिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के हक़ से महिलाओं को वंचित कर देते हैं। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं में कई अख़बारों में सुर्खियां बनती हैं, लोगों का विरोध भी होता है, और उसको रोकने के लिए कई तरह के कदम भी कई बार उठाए जाते हैं, पर सार्वजनिक स्थानों पर महिला पर होने वाली हिंसा को परिभाषित होने वाला मुख्य तथ्य है- हिंसा का सतत् और आम-साधारण स्वरूप। हिंसा के इस आम-रोज़मर्रा के नॉर्मल चरित्र पर ही हमें अपना ध्यान केन्द्रित करने की ज़रूरत है।

महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकः

सामाजिकः

» हिंसा और हिंसा का डर

» सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी से जुड़ी समुदाय की उम्मीदें।

» महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जाने का कारण देना होता है, कारण भी वे स्वीकृत या वैध माने जाते हैं जो समाज द्वारा निर्धारित उनकी भूमिका के दायरे में आते हैं।

» यौन उत्पीड़न की गंभीरता या तुच्छता से जुड़े विचार।

» महिलाओं का सामाजिक दर्ज़ा, ख़ासतौर पर आर्थिक व राजनीतिक ताकत।

भौतिकः

» रोशनी	» सार्वजनिक शौचालय	» पुलिस की मौजूदगी
» चलने लायक सड़क	» सुनसान या भीड़भाड़	» जगह
» परिवहन की स्थिति	» दिशानिर्देश	» समय

महिलाओं व लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच क्यों ज़रूरी है?

» असुरक्षा, हिंसा की वास्तविकता व हिंसा की संभावना का डर महिलाओं व लड़कियों को सामुदायिक जीवन में बतौर पूर्ण व समान नागरिक के तोर पर भागीदारी करने से रोकता है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा या हिंसा का डर उन जगहों तक उनकी पहुंच को प्रभावित करता है, जिसका दुष्प्रभाव महिलाओं के जीवन व विकास पर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार, सूचना आदि जीवन के ऐसे ज़रूरी क्षेत्र हैं, जिनको यह प्रभावित करता है। जिनका असर हम व्यावहारिकता में कमी, भावनात्मक दबाव, निर्णय लेने की क्षमता व अधिकार में कमी, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में कमी, रोजगार की संभावनाओं में कमी, गरीबी, शोषण आदि रूपों में देख सकते हैं। केवल हिंसा ही नहीं; बल्कि हिंसा का डर भी महिलाओं व लड़कियों के 'सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल के अधिकार में रुकावट डालता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाएं व लड़कियां अक्सर हिंसा से बचने के लिए उन जगहों पर जाती ही नहीं या जाने से बचती हैं, जहां जाने से उन्हें ख़तरा महसूस होता हैं। जैसे अंधेरे रास्तों से दूर रहना, पार्क आदि में न जाना, यहां तक की कई बार रास्ता सुनसान या असुरक्षित होने की वज़ह से वे अपनी शिक्षा को ही अधूरा छोड़ देतीं हैं, या नौकरी के चयन में सुरक्षित आवाजाही की स्थिति को ज़्यादा महत्व देतीं हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर या गांव वे हैं जहांः

» सभी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का हक़ है-किसी भी समय चाहे रात हो या दिन, बिना रोकटोक, बिना किसी डर के बेफ़िक्र हो कर वे इन जगहों का इस्तेमाल कर सकती हों।

» शहर गांव या पंचायत के स्थानीय प्रशासन में भागीदारी ख़ासतौर पर सार्वजनिक जगहों के लिए बनाई जा रही योजनाओं में महिलाओं व लड़कियों की समान रूप से भागीदारी हो।

» जहां महिलाओं व लड़कियों पर घर व सड़क दोनों जगह हिंसा न की जाती हो।

» जहां महिलाओं व लड़कियों के साथ भेदभाव न किया जाता हो और जहां वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी हक़ों को बिना किसी डर या दबाव के ले सकती हों।

» जहां की स्थानीय सरकार या प्रशासन महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा पर ध्यान दे, उसकी रोकथाम करे और उसके लिए सज़ा मुहैया कराए।

» वे सुरक्षित आवाजाही कर सकें, अपने मनोरंजन और खुद की ज़रूरत के लिए भी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल कर सकें।

» वे सामाजिक रूढ़ियां जो उनके लिए नुकसानदेह हैं उन्हें बदलने या सुधारने की कोशिश की जाती हो।

» घर के कामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबर साझेदारी को बढ़ावा दिया जाता हो।

शहर पर अधिकार की परिभाषाः

समावेशी शहर के चार आयाम होते हैं-आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक। 'शहर पर अधिकार' इन चारों आयामों को अपने में समाहित किए हुए है, चारों आयाम एक साथ मिलकर समावेश की गारंटी देते हैं। शहर पर अधिकार का मूलभूत नियम यह है कि मानव अधिकार एक दूसरे पर निर्भर और जुड़े हुए हैं। इसलिए शहर के सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक, सांस्कृतिक व लैंगिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, उन्हें सभी मानव अधिकार बराबरी से मिलने चाहिए। (**स्त्रोतः यू.एन.हैबिटेटः** स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड्ज़ सिटीज़ 2010/ब्रिजिंग द अरबन डिवाइड)

आबादी का शहरों पर बढ़ता दबाव और हाशिए पर पड़ा समुदायः

हाल के कुछ दशक से विश्व लगातार यह अनुभव कर रहा है कि शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और अनियोजित ढंग से शहरों का विकास हो रहा है। परिणामस्वरूप शहरों पर आर्थिक, सामाजिक, स्थानीय और पर्यावरणीय दबाव बढ़ता जा रहा है। 2015 तक विश्व की शहरी आबादी 54 प्रतिशत थी, माना जा रहा है कि 2030 तक ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार भारत की शहरी आबादी 37.7 करोड़ है। अनुमान है कि 2030 तक यह 87.5 करोड़ हो जाएगी। यू.एन. हैबिटेट का कहना है कि आने वाले समय में विश्व में शहर की आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी। तेज़ी से होते इस शहरीकरण ने महिलाओं व लड़कियों को, ख़ासतौर से हाशिए पर पड़ी आबादी को इससे बाहर कर दिया है। यू.एन. विमेन के अनुसार हर तीन में से एक महिला घर के अंदर या बाहर यौन हिंसा को झेल रही है। शहरी गरीबी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। शहरों पर आबादी के बढ़ते दबाव ने कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं- जिनमें बुनियादी ढांचे में कमी व खामियां प्रमुख हैं। जितनी आबादी है उसकी तुलना में सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। शहरीकरण को जेण्डर गैरबराबरी द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनमें महिलाएं और लड़कियां भेदभाव, गरीबी, सीमित आवाजाही, अपनी ज़रूरतों के लिए मांग उठाने में असमर्थता, ज़रूरी संसाधनों और सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे कारकों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जेण्डर

गैरबराबरी महिलाओं की शिक्षा, आवास के अधिकार, भूमि और संपत्ति पर मालिकाना हक़ को सीमित करती है। यह महिलाओं की श्रम भागीदारी दरों को भी प्रभावित करती है, जो उनके अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के बोझ को और ज़्यादा बढ़ाता है। महिलाओं और लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों और अवसरों तक पहुंच को शहरीकरण प्रभावित कर रहा है। इस बात से सभी भलीभांति परिचित हैं कि महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न और हिंसा ख़ासतौर पर हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए एक व्यापक समस्या है।

सुरक्षित और समावेशी शहर व गांवों के प्रति जागोरी की प्रतिबद्धताः

जागोरी महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा के ख़िलाफ पिछले लगभग सैंतीस सालों से संघर्षरत् है। महिलाएं हिंसा-मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल कर सकें, इस लक्ष्य के साथ महिला नेतृत्व निर्माण और समुदायों में महिलाओं को संगठित करने का काम कर रही है। पिछले दो दशक से भी अधिक समय से जागोरी महिलाओं की सुरक्षा और ज़रूरतों के मुद्दे पर, शहर निर्माण की परियोजनाओं के साथ भी गहराई से काम कर रही है। ऐतिहासिक रूप से, जागोरी 2004 से दक्षिण एशिया क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर काम करने वाली पहली संगठन थी। इसने शहरीकरण के मुद्दों और शहर बनने की प्रक्रिया में महिलाओं और लड़कियों की ज़रूरतों और सुविधाओं को नज़रअंदाज़ करने की चली आ रही परिपाटी को चुनौती देते हुए इस मुद्दे पर गहराई से काम किया है। अनौपचारिक बस्तियों से बेदख़ल की गई प्रवासी महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करते हुए, जागोरी ने महिलाओं और लड़कियों के लिए एक जेण्डर समावेशी और सुरक्षित शहर और सुरक्षित आवाजाही की वास्तुकला विकसित की, जिसमें शहर और उसकी सेवाओं पर महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा मिले। जागोरी ने कई राज्यों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ साझेदारी में समुदाय के नेतृत्व वाली पहल के एक मॉडल का बीड़ा उठाया। (देखेंः www.jagori.org)

वुमेन इन सिटीज़ इंटरनेशनल और जागोरी ने 22 से 24 नवंबर 2010 में नई दिल्ली में *'भारत में महिला सुरक्षाः बिल्डिंग इनक्लुसिव सिटीज़'* पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सह-आयोजन किया था। इस कार्यक्रम ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर काम करने वाली राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कार्यकर्ताओं को एक मंच पर प्रमुख विचारों के आदान-प्रदान और रणनीति बनाने के लिए एकजुट किया।

सुरक्षित और समावेशी शहरों के मुद्दे पर सीख साझा करने और संयुक्त कार्रवाई करने के लिए लगभग 14 संगठनों की सदस्यता के साथ शहरों का एक नारीवादी नेटवर्क *'नेटवर्क ऑफ़ सिटीज़'* स्थापित किया गया। महिलाओं और लड़कियों के लिए जेण्डर समावेशी सार्वजनिक स्थलों के निर्माण हेतु सहयोगपूर्ण पैरोकारी मॉडल तैयार करने के लिए जागोरी ने ओक के साथ साझेदारी की थी। सामुदायिक कार्रवाई और अभियानों के माध्यम से अनुसंधान और शिक्षा और देश के चुनिंदा शहरों व जिलो में (बहादुरगढ़, बेंगलुर, भोपाल, भुज, कोचीन, दिल्ली, गुवहाटी, हजारीबाग, झज्जर, करनाल, कोलकाता, रांची, मुंबई और तिरुवनंतपुरम) हितधारकों की क्षमता विकास का काम किया है।

जागोरी ने संबधित मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च सामग्री, ट्रेनिंग टूल्स और मॉड्यूल, कम्युनिकेशन और पैरोकारी की सामग्री सहित विभिन्न ज्ञान सामग्री का निर्माण किया है, जो इस मुद्दे को लागू करने और आगे बढ़ानें में कई हितधारकों को सहयोग दिया है। इनमें से एक सामग्री- *'महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहरों का निर्माणः एक व्यावहारिक गाइड* (2011) जो कि जागोरी की गाइडबुक है, छात्रों, शोधकर्ताओं, नागरिक समाज और सामुदायिक सहजकर्ताओं द्वारा बड़े स्तर पर उपयोग में लाया गया है।

सतत् विकास लक्ष्य का 11वां बिन्दु शहर, गांव और कस्बों को समावेशी, सुरक्षित, सतत और लचीला बनाने की बात कहता है। इसका लक्ष्य, महिलाओं, ट्रांस, एल.जी.बी.टी.क्यू., बच्चों, बुजुर्गों, विक्लांगों, कामकाजी महिलाओं, बेघर महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से सुरक्षित और सुविधाजनक आवास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो टिकाऊ और पहुंच के अंदर हो, उपलब्ध कराना है। यह शहरी योजना प्रक्रिया को और आगे बढ़ाकर, इसमें सबकी सहभागिता और लोकतांत्रिक बनाने की बात करता है, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी कम पड़ेगा। जागोरी सतत् विकास लक्ष्य के 5,6,11 और यू.एन.ए के साझा नज़रिए में योगदान देती रही है, जो इस बात पर जोर देता है कि - शहरों/गांवों को, सभी के लिए सम्मान और उन्नत मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ-साथ सभी की पहुंच के अंदर, भेदभाव से मुक्त और ज़्यादा समावेशी होने की ज़रूरत है।

दिल्ली सरकार और यू.एन. विमेन द्वारा सुरक्षित शहर के एजेंडे को अपनाए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं और लड़कियों के लिए शहरों को सुरक्षित बनाना महत्वपूर्ण और संभव है। जागोरी ने, महिलाओं की सुरक्षा और सेवाओं तक पहुंच के इस वैश्विक स्तर के मुद्दे की जांच और उस पर कार्रवाई के लिए अपने उपकरणों में ज़रूरत के अनुसार और बदलाव किए। इसने 'कम आय वाले शहरों के लिए महिला सुरक्षा ऑडिटः आवश्यक सेवाओं पर एक फ़ोकस' (2011) नामक एक व्यापक गाइड को तैयार किया। इन दोनों संसाधनों को उस समय तैयार किया गया जब सुरक्षित और समावेशी शहरों कें निर्माण पर काम अपने शुरूआती चरण में था, बहुत कम संगठन थे जो इस मुद्दे पर काम कर रहे थे।

आज, महिला सुरक्षा का एजेंडा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुका है। संबंधित सामग्री भी बहुतायत में उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन व समूहों के लिए आसान भाषा व शैली में सरल संसाधन सामग्री की ज़रूरत लगातार महसूस हो रही है। इसी पर विचार करते हुए, जागोरी ने सरल सामग्री के साथ इस गाइड बुक को लाने का निर्णय लिया। यह गाइड जागोरी के ज़मीनी और नीतिगत स्तर पर अपने साझेदारों के साथ इस मुद्दे पर किए गए काम के अनुभवों पर आधारित है, जो यह भी ध्यान में रखता है कि कौन सी रणनीति इस मुद्दे पर कारगार है और किसे अभी और अभी मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। यह इस बात की पहचान करता है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चत करने में स्थानीय, क्षेत्रीय, समुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा हितधारक और समुदाय की ओर से आई अपनी मांग महत्वपूर्ण है।

हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचानः

चाहे वो शहर हो गांव हो या कस्बा या समुदाय हो, महिलाओं को सार्वजनिक या निजी स्थलों के समान दावेदार के तौर पर नहीं देखा जाता है। शहर के डिज़ाइन में सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन, बुनियादी ढांचे, सेवाओं का नज़रिया जेण्डर केन्द्रित नहीं होता है। अन्य मुद्दों के अलावा शहरों/गांवों के प्रशासन में भी जेण्डर दृष्टिकोण का अभाव दिखता है। पूरे विश्व के स्तर पर हो रहे साझा प्रयासों में यह ज़रूरी हो जाता है कि इन चुनौतियों को दुनिया के शहरी/ग्रामीण लोगों के लिए अवसरों में बदला जाए। शहर और गांव की बनावट में किस तरह के बदलाव किए जाएं, ताकि वे महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित बन सकें, उनकी आवाजाही सुरक्षित हो सके, इसके लिए जागोरी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां हस्तक्षेप की ज़रूरत है। इन क्षेत्रों की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए तीन स्तर पर अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं-लघु, मध्यम और दीर्घ जिसको ध्यान में रख कर व्यापक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है।

1. सार्वजनिक स्थलों की शहरी/ग्रामीण/पंचायत स्तर की योजनाः

» इस योजना में किसी स्थान का एक से अधिक कामों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने तथा पॉली सैंट्रिक (बहु केन्द्रित) सिटी स्पेस डिज़ाइन करने की ज़रूरत है।

» श्रम शक्ति में घटती भागीदारी या कामकाजी महिलाओं की लगातार कम होती संख्या के कारणों में एकल महिलाओं और छात्राओं के लिए आवास की कमी, किराए की ऊंची दर और सपोर्ट सिस्टम का अभाव है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शहर की योजना तैयार की जाए जहां इन सभी सुविधाओं की व्यवस्था हो।

» अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को जेण्डर नज़रिए से, अलग-अलग उपयोग के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ज़रूरी है।

» शहर/गांव की योजना बनाने वालों को यह सुनिश्चत करना होगा कि गलियां, सार्वजनिक शौचालय परिसर, पेयजल व्यवस्था, बुजुर्गों, विक्लांगों, और गर्भवती महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाले भी हों। साथ ही उनकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विश्राम गृह या वेटिंग रुम की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

2. शहरी/ग्रामीण ढांचे का प्रबंधन व रखरखावः ढांचे का प्रभावशाली रखरखाव शहरों/गांवों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है- सड़क की टूट-फूट, पीने के पानी का लगातार रिसाव, गंदे शौचालय, जल निकासी व्यवस्था, महिलाओं के लिए नाइट शेल्टर आदि। जागोरी के शोधों ने इस तथ्य को इंगित किया है कि शहरी/ग्रामीण ढांचे का अच्छे से रखरखाव नहीं होने की वज़ह से महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न में बढोतरी होती है और उनके स्वास्थ्य और समय पर भी इसका असर पड़ता है। सुरक्षा ऑडिट के आंकड़े नियमित आधार पर बुनियादी ढांचे की कमियों की निगरानी रखने में मदद करते हैं और स्थानीय एजेंसियों को रोशनी व्यवस्था, जल रिसाई को ठीक करने, सुरक्षित काम के क्षेत्र बनाने में, शौचालय की व्यवस्था, बाउण्ड्री वॉल आदि के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं।

3. **सार्वजनिक परिवहनः** सार्वजनिक परिवहनों तक पहुंच और उसका इस्तेमाल जेण्डर आधारित घटना है। सार्वजनिक परिवहनों का रूट पर उपलब्ध न होना, वाहन के अंदर यौन उत्पीड़न, बस स्टॉप या ऑटो स्टॉप का असुरक्षित जगह पर होना कई ऐसे कारण हैं जो महिलाओं की आवाजाही को प्रभावित करते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जागोरी ने ड्राइवर, परिवहन कर्मियों, सुरक्षा मार्शल के साथ दिल्ली सहित कई जगहों पर जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वाहनों में महिला हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने हेल्पलाइन नंबर के स्टाफ को प्रशिक्षित और नियमित करने की वकालत की गई है। रांची में महिला ऑटो चालकों के प्रशिक्षण के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की पैरोकारी, विभिन्न सार्वजनिक वाहनों के यूनियन के साथ 'महिला सुरक्षा अभियान', आदि कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, ताकि महिलाओं की आवाजाही सुरक्षित बन सके।

4. **पुलिसिंगः** इस बात को समझना ज़रूरी है कि पुलिसिंग के एजेंडे में महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है। इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को संबोधित करना ज़रूरी है। केवल सी.सी.टी.वी. लगा देना इसका हल नहीं है। महिलाओं और लड़कियों की पहुंच के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन पुलिसिंग में यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पुलिसिंग महिला या लड़की की निजता को तो प्रभावित नहीं कर रही है, या पुलिसिंग के नाम पर उनकी आवाजाही तो प्रतिबंधित नहीं हो रही है? जागोरी ने इस संदर्भ में दिल्ली में पुलिस हैल्पलाइन और अन्य अध्ययनों में अपने इनपुट दिए हैं। कम्युनिटी लीडर्स के साथ ही पीड़िताओं को जल्द से जल्द सहयोग दिलाने के लिए बनाए जाने वाले जेण्डर संवेदनशील प्रोटोकॉल में इनपुट दिए हैं। पुलिसकर्मियों को जेण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिए हैं। सी.एच.आर. द्वारा 'पुलिस में महिलाएं' पर आयोजित मॉडल पुलिस डॉक्युमेंट में अपने इनपुट दिए हैं। जागोरी महिला सुरक्षा पर संबधित हितधारकों के बीच तालमेल की वकालत करती है।

5. **कानून, न्याय और सर्वाइवर को सपोर्टः** यौनिक अपराधों के सर्वाइवर को जल्द से जल्द कानूनी, सामाजिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक सेवाओं तक पहुंच की ज़रूरत होती है। नारीवादी परामर्श, कानूनी सलाह और सुविधायें सर्वाइवर को उपलब्ध कराना। सर्वाइवर्स की न्याय तक पहुंच बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों, काउंसलर और महिला समूहों को प्रशिक्षण देने का काम।

6. **शिक्षाः** स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय वे प्रमुख संस्थान होते हैं जहां महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का शहर पर अधिकार और प्रशासन में उनकी भागीदारी जैसे मुद्दों पर समझदारी बनती है। इस संदर्भ में युवा समूहों से बातचीत, स्टार्ट अप, मीडिया एजेंसियों, समुदायों, जेण्डर रिसोर्स सेंटर, स्कूल टीचर्स, पुरुषों के संगठनों के साथ साझेदारी करना और जेण्डर के मुद्दे को शुरुआती स्तर से उठाकर पुरुष समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रयास करना। संगत और जागोरी ने दिल्ली व झारखण्ड में 'उमड़ते सौ करोड़ अभियान' के माध्यम से नियमित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाई है। इस अभियान का यह संदेश यह सुनिश्चत करने पर केन्द्रित है कि महिलाएं हिंसा की शिकार हैं, लेकिन वे परिवर्तन की वाहक भी हैं और यह कि वे सार्वजनिक स्थानों से खुद को दूर नहीं करेंगी; बल्कि उस पर दावा करेंगी। सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर जितनी अधिक महिलाएं होंगी शहर उतना ज़्यादा सुरक्षित सबके लिए बनेगा।

7. **जन जागरुकताः** महिलाओं की सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच, शहरों पर उनके अधिकार को लेकर समझ का प्रसार एक ज़रूरी तत्व है। यह केवल पुरुषों और योजनाकारों, नीति निर्धारकों के लिए ही ज़रूरी नहीं हैं; बल्कि खुद महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। जब तक वे खुद अपने इस अधिकार को पहचानेंगी नहीं तब तक वे इन अधिकारों के लिए दावा भी नहीं करेंगी। जन जागरुकता के लिए पूरी रणनीति के साथ योजना बनाने की ज़रूरत है। जागोरी, जन शिक्षा और बड़े ऑडियंस के साथ महिलाओं के मुद्दे और मांगों पर संवाद के लिए सांस्कृतिक, अभिव्यक्ति के माध्यम जैसे लोककला, रेडियो, संगीत, थियेटर, फिल्म, नृत्य, जन सुनवाई, साहित्य आदि तरीके भी अपनाती हैं। पोस्टकार्ड, अखबारों में लेख, महिला सुरक्षा पर विमेन चार्टर भी प्रकाशित किए गए हैं।

8. **सूचना प्रौद्योगिकीः** डिज़िटल साक्षरता, एप्लिकेशन और सोशल मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में बड़ी संख्या में आंकड़ों को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपात्कालीन सेवाओं के साथ व्यक्तियों को जोड़ने और संभावित सुरक्षा मुद्दों और पड़ोस की निगरानी के लिए मोबाइल व स्मार्ट फोन के माध्यम से कई पहल किए जा रहे हैं। जागोरी ने सेफ्टी पिन के साथ साझेदारी कर झारखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, केरल के कई शहरों में सुरक्षा ऑडिट किया है। समुदाय की महिलाओं और युवाओं को सुरक्षा ऑडिट के लिए यह एप्प कैसे इस्तेमाल करना है और इसके परिणामों पर आधारित सिफारिशों को किस प्रकार स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना है-इसका प्रशिक्षण दिया गया है। ऑडिट से एकत्र आंकड़ों को 'ओपन स्ट्रीट ऑडिट मैपिंग' के माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है और संबधित हितधारकों तक पहुंचाया जाता है।

Violence Free World Is Possible

हिंसा रहित दुनिया मुमकिन है

JAGORI

अध्यायः 2

टूल्स और अभ्यासः महिला सुरक्षा और अधिकार

पिछले कई सालों से जागोरी महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और समावेशी शहर बनाने के मुद्दे पर नीति और पैरोकारी के लिए संबधित आंकड़े एकत्र करने, सबूतों को जुटाने और क्षमता के निमार्ण के काम में लगी हुई है। जिसके लिए उसने कई तरह के नए टूल्स अपने साझेदारों के साथ मिलकर बनाए और अपनाए हैं। ये टूल्स अलग-अलग तरह के नज़रिए और आंकड़ों को सामने लाते हैं। इन टूल्स का जब एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो एक सुरक्षित शहर, गांव या कस्बे का एक विस्तृत और बारीकी से परखी गई तस्वीर हमारे सामने आती है। इस अध्याय को लिखने के लिए, हमने जागोरी द्वारा तैयार की गई मौजूदा गाइडबुक, हैंडबुक और टूल किट को कुछ बदलाव के साथ अपनाया है।

आंकड़ों और सबूतों को एकत्र करनाः

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी रणनीति तैयार करने का पहला चरण होता है, महिलाओं और लड़कियों की उनके आसपास की सार्वजनिक जगहों को लेकर बने सुरक्षा संबंधी डरों को दूर करना। इस मकसद से कई तरह के टूल्स तैयार किए गए हैं जो केवल डेटा संग्रह का काम ही नहीं करते बल्कि उस बहुमूल्य ज्ञान को भी, जिसे महिलाओं व लडकियों ने अपने रोजमर्रा के जीवन अनुभवों से हासिल किए हैं, उन्हें पहचानने में भी मदद करता है। समय-समय पर ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च टूल्स में सुधार या बदलाव करके अपनाया जाता रहा है। बदलाव या सुधार मुख्यतौर पर प्रासंगिक है, क्योंकि हर महिला व लड़की की अपनी अलग-अलग परिस्थितियां या वास्तविकताएं होती हैं। ये टूल्स इन अलग-अलग परिस्थितियों को ठीक से आकलन कर तथ्यों को सामने ला सकेगा, तभी वह सफल माना जाएगा। जिसमें, प्रश्नों को जोड़ना, हटाना, बदलना या उसकी भाषा को बदलना शामिल है, ताकि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ये टूल्स सहज और सुलभ हो सकें। नीचे कुछ टूल्स हैं जो उदाहरण के तौर पर दिए गए हैंः जिसमें शामिल है-स्ट्रीट सर्वे, मुद्दा केन्द्रित समूह चर्चा (FGDs), सूचना देने वाले मुख्य व्यक्ति से इंटरव्यू, महिला सुरक्षा जांच और सुरक्षा चौपाल। सभी टूल्स के कुछ निर्धारित प्रोटोकॉल हैं (लिखित या मौखिक सहमति आदि) जिनका सम्मान और पालन किया जाना चाहिए।

1. सर्वे या सर्वेक्षण

सर्वे संबधी कुछ सामान्य प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशः

» सवाल शुरू करने से पहले जवाब देने वाले को यह साफ़-साफ़ बताया जाना चाहिए कि उनसे पूछे जाने वाले सवालों के पीछे मकसद क्या है। सर्वे का उद्देश्य स्पष्ट करें उनसे सर्वे में शामिल होने की सहमति लें। सहमति - लिखित या मौखिक लें उन्हें आश्वस्त करें कि उनकी पहचान व जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

» बिना पूर्वाग्रह के शांति से उनकी बात को सुनें, उनकी बात के बीच में किसी तरह का रोक-टोक न करें/अपनी सोच से उनके जवाब को प्रभावित न करें।

» उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता के बीच अच्छा तालमेल ज़रूरी है, ताकि उत्तरदाता खुल कर अपनी बात रख सके।

» उत्तरदाता की हर बात को दर्ज़ करें।

» इंटरव्यू लेते समय उत्तरदाता की निजता सुनिश्चित करें और उसका पालन करें।

» एक अभ्यास सत्र का आयोजन करें जिसमें ट्रेनिंग के सहजकर्ता ऑब्ज़र्वर के तौर पर हों और सहभागी इंटरव्यू लेने वाली भूमिका में।

» मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके सहजकर्ता सभी शोधकर्ता को अपना फीडबैक दें-उनके इंटरव्यू लेने के तरीके या सवाल या जवाब को कैसे देखा जाना चाहिए उसे इस अभ्यास इंटरव्यू के माध्यम से और स्पष्ट करें।

» कई बार उत्तरदाता सवाल को सही तरीके से समझ नहीं पाता और किसी और मुद्दे से संबधित जवाब देने लग जाता है, ऐसी स्थिति में सवाल को दूसरे तरीके से या उदाहरण देकर समझायें।

क) स्ट्रीट सर्वे या सड़क सर्वेक्षणः

सार्वजनिक जगहों को लेकर बनी धारणायें और उससे संबंधित उपयोगकर्ता के अनुभवों के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए सड़क सर्वेक्षण या स्ट्रीट सर्वे एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि वह उन लोगों से जानकारी एकत्र करता है जो उस सड़क को खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे उत्तरदाता के लिए सवाल को समझना आसान हो जाता है। स्ट्रीट सर्वे महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में मात्रात्मक जानकारी सामने लाते हैं जो कि गुणात्मक आंकड़ों को मजबूत करते हैं। सर्वे के सवाल सुरक्षा संबंधी धारणाएं, यौन उत्पीड़न के अनुभवों, उन वज़हों को जो महिला सुरक्षा को प्रभावित करते हैं और यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ प्रतिक्रियाओं को संबोधित कर सकते हैं। स्ट्रीट सर्वे साक्षात्कार सामान्य जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं-जैसे कि महिलाएं किस जगह पर सबसे अधिक डरती हैं और महिलाएं सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल कैसे और कब करती हैं।

उद्देश्यः

» महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर महिलाओं के अनुभवों, चिंताओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित ख़ास आंकड़ों को एकत्र करें। इन आंकड़ों का इस्तेमाल महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को बेहतर करने, समावेशी शहर या गांव के विकास की पैरोकारी के लिए किया जा सकता है।

» बदलाव मापने के लिए एक आधार रेखा का निर्माण करना, ताकि इसके ख़िलाफ़ किए जाने वाले हस्तक्षेप को बाद में मापने में मदद मिल सके।

» उस शहर के बारे में जहां ये सर्वे किया जा रहा है महिला सुरक्षा से संबधित महिलाओं की अपनी क्या धारणा है उसकी विस्तृत जानकारी सामने आती है।

कदमः

» उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सर्वे किया जाएगा।

» सर्वे की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो, परिणाम भी अच्छी गुणवत्ता वाला मिले यह सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को सर्वे प्रबंधक बनाएं।

» उस जनसंख्या की पहचान करें जिनका सर्वे किया जाना है। सर्वे के लिए जिस जनसंख्या का चुनाव किया गया है उसमें 16 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं शामिल हैं, जो मौजूदा या संभावित सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करती हैं या कर सकती हैं। साक्षात्कार केवल इस जनसंख्या का नमूना है।

» एक प्रश्नपत्र डिज़ाइन करें: प्रश्नपत्र का एक निश्चित प्रारूप, सर्वे का टूल है। इसमें साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के लिए सवालों को किसी तरह से पूछा जाना है, किस तरह से सवालों को एक दूसरे से जोड़ना है आदि के लिए शब्दावली और जानकारी शामिल है।

» प्रश्नावली को प्रदर्शित करें।

» निष्कर्षों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करें।

अनुमानित समयः 10 मिनट

सुझाव

» सुरक्षा और अलग-अलग ज़रूरतों वाले सभी लोगों को शामिल करने के मुद्दों के बारे में विविध नज़रिया हासिल करने के लिए सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं का साक्षात्कार किया जाना चाहिए। आसपास से गुजरती भीड़ के अलावा स्थाई उपयोगकर्ता भी।

» यह देखते हुए कि सार्वजनिक जगहों के अधिकांश उपयोगकर्ता दूसरे कामों में लगे हुए हैं, सर्वे को छोटा रखने की ज़रूरत है, इसमें ख़ासतौर पर आसान, छोटे जवाब वाले और बहुविकल्पीय सवाल शामिल हैं।

» बहुविकल्पीय सवालों का उत्तर देना आसान बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जवाबों पर विचार किया जा सके, विकल्पों की सूची को एक कार्ड पर प्रिंट किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदाता को दिखाया जाना चाहिए। हर सवाल के जवाबों के विकल्प अलग-अलग कार्ड में होने चाहिए।

» ध्यान दें कि उत्तरदाता को किसी वज़ह से कार्ड पढ़ने में दिक़्क़त तो नहीं आ रही है, जैसे वह कम पढ़ा लिखा है या उसकी आंखें कमज़ोर हैं तो कार्ड पर लिखे विकल्प को जोर से साफ़-साफ़ पढ़ कर उसे सुनाएं।

» सर्वे में यौन हिंसा या अपराध के अनुभवों से संबंधित सवाल भी शामिल हैं, उत्तरदाता जब उन अनुभवों को अपने मन में दोहराता है तो उसे फिर से उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसलिए साक्षात्कारकर्ता को इस तरह से सवालों के बारे में पूछताछ करते हुए संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। इस तरह के सवालों के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को ख़ास तौर पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

» इस तरह के सवालों के कारण उत्तरदाता पर बुरा प्रभाव न पड़े इसे परखने के लिए ज़रूरी है कि उत्तरदाता को पहले ही बता दिया जाए कि वे इस मुद्दे पर अपने निजी अनुभवों को शेयर करना चाहें, तभी वह शेयर करें। साथ ही प्रश्नकर्ता संबंधित उत्तरदाता को उन सेवाओं, सुविधाओं व संस्थाओं की जानकारी भी दें जो उसकी मदद कर सकते हैं।

खः घरेलू सर्वे

उद्देश्यः

महिला सुरक्षा के संदर्भ में किए जाने वाले घरेलू सर्वे में, अलग-अलग परिवार या लोगों की, महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली यौन हिंसा और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर क्या समझ है इसकी जानकारी ली जाती है। यह टूल ख़ासतौर पर महिला हिंसा से संबंधित एक ख़ास क्षेत्र की स्थानीय चिंताओं को सामने लाने में काफ़ी मददगार साबित होता है।

कदमः

» उन क्षेत्रों/स्थानों/वार्डों का चयन करें जहां घरेलू सर्वे किया जाएगा।
» उत्तरदाताओं का चयन इस तरह से करें कि लिंग, आयु, जाति, वर्ग, विक्लांगता, व्यवसाय आदि सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हों।
» प्रश्नावली तैयार करें।
» वालंटियर्स के समूह को प्रशिक्षित करें।
» तैयार प्रश्नावली का अभ्यास करवायें।
» निष्कर्षों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करें।

अनुमानित समयः

आमतौर पर इसमें एक घर में लगभग एक घंटे का समय लग जाता है। सर्वे की ज़रूरत के अनुसार हरेक सर्वे करने वाले वालंटियर द्वारा एक दिन में एक निश्चित संख्या में घर निर्धारित किए जाएं। पूरे सर्वे में कितने घरों को कवर करना है उस हिसाब से निर्धारित करें कि एक घर के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए।

टिप्सः

» सर्वे का डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति को सैंपलिंग तकनीक और सर्वे डिज़ाइन जैसे कारकों पर भी विचार करना चाहिए।
» अच्छी गुणवत्ता वाले आंकड़े एकत्र करने के लिए, सर्वे के पूरे डिज़ाइन को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही उसे तैयार और इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

टिप्सः

» सर्वे करने वाले व्यक्ति को संवेदनशील होने की भी ज़रूरत है। कई बार उत्तरदाता हिंसा से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी सर्वे के दौरान शेयर करने लगता है, ऐसी स्थिति में सर्वे करने वाले की प्रतिक्रिया किस तरह संवेदनापूर्ण और धैर्य वाली होगी इसका प्रशिक्षण उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए।

» सर्वे करने वाले व्यक्ति को सर्वे की नैतिकता और प्रोटोकॉल को जानना और समझना महत्वपूर्ण है।

» सर्वे का परिणाम सर्वे के उद्देश्य के अनूकल हो, जवाबों के भटकाव के जोख़िम को कम करने के लिए उत्तरदाताओं से पहले ही पूछा जाना चाहिए कि क्या वे व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं या नहीं।

अगर उत्तरदाता अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता है तो सर्वे करने वाले व्यक्ति को उसे उन सेवाओं और संगठनों की भी जानकारी देनी चाहिए, जो सहायता प्रदान कर सकते हैं।

2. फोकस समूह चर्चा (FGD)

किसी विशेष मुद्दे की बेहतर समझ बनाने के लिए फ़ोकस समूह चर्चा को आयोजित किया जाता है। जिसमें उस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के अलावा उस मुद्दे को संबोधित करने के तरीकों पर भी बातचीत की जाती है। इसमें शामिल सहभागी मुद्दों से संबधित अपने अनुभवों को शेयर करने के साथ मुद्दों के संदर्भ में समाज में मौजूद अलग-अलग धारणाओं या सोचों को भी सामने रखा जाता और संभावित समाधानों की भी खोज की जाती है।

उद्देश्यः

» अपने शहर या गांव में, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को वो कौन से कारक हैं जो सुरक्षित या असुरक्षित महसूस कराते हैं, और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा और पहुंच को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करना।

सुझावः

» हालांकि सहजकर्ता को अपनी बातचीत को आकर्षक बनाए रखना होता है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि साक्षात्कार के दौरान वह बिल्कुल तटस्थ रहे और साक्षात्कार से पहले और बाद में उत्तरदाताओं से ज़रूरी बातचीतों से बचें।

» सहजकर्ता का हो सकता है विषय पर अपना एक नज़रिया हो, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके अपने नज़रिये का दबाव उत्तरदाता पर न पड़े।

» सहजकर्ता को अपने सभी सवालों का उत्तर देने के लिए उत्तरदाता को पर्याप्त समय देना चाहिए, और वह अपने जवाब पूरे विस्तार के साथ दे सके इसका पूरा मौका देना चाहिए।

» सहजकर्ता को उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करना चाहिए और विवरण का भी अनुरोध करना चाहिए।

3. सुरक्षा चौपाल

सुरक्षा चौपाल एक मंच है, जिसमें किसी सार्वजनिक जगह पर समुदाय की महिलाएं इकट्ठा होती हैं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बैठकें आयोजित करती हैं। यह गांव चौपालों की अवधारणा पर आधारित है, यानी गांव की एक जगह जो कि आमतौर पर गांव के बीचों-बीच होता है, जहां सामुदायिक बैठकें होती हैं, जिसमें सामुदायिक मुद्दों पर बातचीत होती है।

उद्देश्यः

» सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की पहुंच और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करना।

» समस्याओं का समाधान खोजने और महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए संभावित उपायों और कार्य योजनाओं पर चर्चा करने हेतु यहां एकत्र होते हैं।

कदमः

» प्रतिभागियों को बताएं कि सुरक्षा चौपाल क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ हैं और इसकी क्या सीमाएं हैं।

» सार्वजनिक स्थान की क्या अवधारणा है, इसकी समझ बनाएं।

» समूह के अंदर से ही सहजकर्ता का चयन करें।

» प्रतिभागियों से उनकी प्रमुख सुरक्षा चिंताओं के बारे में पूछें।

» प्रतिभागियों से किसी एक मुद्दे का चयन करने के लिए कहें जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए वे पैरोकारी करना चाहते हैं।

» तय करें कि हस्ताक्षर अभियान चलाने, शिकायत दर्ज़ करने जैसी शुरुआती कार्रवाई की ज़िम्मेदारी कौन लेगा।

» अगले चरणों के लिए एक पूरी तरह तैयार योजना बनाएं-हस्ताक्षर अभियान, अगले चौपाल के लिए समय व दिन आदि तय करें।

प्रतिभागियों की संख्या

समुदाय से न्यूनतम दस प्रतिभागी।

अनुमानित समयः 2 घंटे

सामग्री की आवश्यकताः	
» 3-4 चार्ट पेपर	» अलग-अलग रंग के स्केचपेन
» महिला सुरक्षा से संबधित संदेशों वाले बैनर	» सांप और सीढ़ी वाले खेल (अगले भाग में देखें)
» बैनर को टांगने की रस्सी	

सुझावः

» चौपाल की शुरुआती अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझायें और बताएं कि सुरक्षा चौपाल का उद्देश्य क्या है- समस्या पर बातचीत और समाधान खोजना।

» एक बार चौपाल में चर्चा शुरू हो जाती है तो प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

» किसी भी प्रतिभागी के सुझाव या राय को तुरंत खारिज या बहस न करें। इसके बजाए, दूसरे प्रतिभागियों को सुझाव देने और सुझाव की कमी को बताने का मौका दें, नहीं तो यह प्रतिभागियों को हतोत्साहित करेगा।

» सुरक्षा चौपाल की अवधारणा और महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की पूरी तरह से व्याख्या करने के बाद, समुदाय की महिलाओं को सुरक्षा चौपाल आयोजित करने की पूरी ज़िम्मेदारी सौंपने की सलाह दी जाती है। जिससे वे समस्याओं की पहचान कर सकें और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इन समस्याओं को हल करने के लिए कार्य योजना तैयार कर सकें।

» ऐसा करने से, उनमें स्वामित्व की भावना आती है और समाधान की दिशा में काम करने के लिए एक स्वभाविक इच्छा विकसित होती है। साथ ही, सामुदायिक चर्चाओं के समाधान या कार्ययोजना बाहरी लोगों की अपेक्षा समुदाय के लोगों द्वारा बनाया जाता है तो ज़्यादा व्यावहारिक बनता है। परिणामस्वरूप चौपाल का उद्देश्य सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है।

» चौपाल के संचालन की पूरी ज़िम्मेदारी समुदाय की महिलाओं को सौंपने के बाद भी चर्चा और चौपाल की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनमें मुद्दे से भटकने की संभावना भी रहती है।

4. महिला सुरक्षा ऑडिट

सुरक्षा ऑडिट, महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों की सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित और सुविधापूर्ण पहुंच के आकलन का एक तरीका है। इसके अलावा ये नीति और स्थानीय दोनों ही स्तर पर बदलाव लागू करने के लिए सार्वजनिक जागरुकता, प्रतिबद्धता और पहल के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करता है। यह इस धारणा को बनाता है कि उपयोगकर्ता अपनी जगहों के विशेषज्ञ हैं और उनके पास उनकी समस्याओं के समाधान का ज्ञान भी है।

कदमः

» महिलाओं और लड़कियों के एक समूह का चयन करें, जिसमें एक या अधिक निवासी या क्षेत्र के उपयोगकर्ता भी शामिल हैं- जो क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हों। (एक समूह में आदर्श रूप से तीन महिलाओं से कम नहीं होना चाहिए)

» जांच के क्षेत्र की पहचान करें और उस रास्ते का एक नक्शा तैयार करें जिसे कवर किया जाना है।

» स्थानीय निवासियों या उस जगह के लोगों के साथ स्थानीय मुद्दों जैसे स्ट्रीट लाइट, सड़क, या उन जगहों के बारे में चर्चा शुरू करें। जहां यौन उत्पीड़न घटनाएं होती हैं, जैसे क्या वे उन जगहों पर सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या उन्होंने यौन उत्पीड़न की किसी घटना के बारे में सुना है?

» यदि क्षेत्र बड़ा है, तो समूह को छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। यह अंधेरा होने से ठीक पहले शुरू किया जाए तो ज़्यादा सटीक परिणाम आयेंगे। एक अंधेरे से पहले और अंधेरे के बाद ऑडिट करके उनके परिणामों के अंतर का विश्लेषण एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह देखा जा सकता है सूरज ढलने से पहले और बाद में महिला और पुरुष उन जगहों का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। फिर उनके अंतर का विश्लेषण किया जा सकता है।

» जैसे-जैसे ऑडिट होता जाता है, उसको साथ-साथ दर्ज़ करते रहें।

» ऑडिट करने वाले समूह की उस जगह को लेकर अपनी क्या राय है, उस पर भी चर्चा करते रहें और उन्हें क्षेत्रों, सड़कों या ब्लॉकों के अनुसार लिखें।

» एक बार जब नोट्स को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो मुख्य समस्या की पहचान करें और स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा करें।

» ऑडिट रिपोर्ट के बाद संबंधित जगह को सुरक्षित बनाने के लिए किन कदमों की ज़रूरत है, इस संदर्भ में हितधारकों को देने के लिए सिफ़ारिशें, रिपोर्ट के साथ तैयार की जाएं।

» यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित सिफ़ारिशों पर हितधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई या कदम पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इस संदर्भ में हित धारकों द्वारा क्या और कितनी कार्रवाई की गई, कितनी और करने की ज़रूरत है, इसकी पैरोकारी लगातार जारी रहनी चाहिए।

आवश्यक सामग्रीः टॉर्च लाइट, कागज (नोट बुक, नोट पैड आदि) और कलम।

सुझावः

» ऑडिट टीम को ऑडिट क्षेत्र का निर्णय नहीं लेना चाहिए या व्यक्तिगत सोच के आधार पर ज़रूरी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए।

» ऑडिट टीम के सदस्यों की सुविधा के अनुसार ऑडिट का समय तय किया जाना चाहिए।

» ऑडिट प्रक्रिया में सभी लोगों की आवाजाही, ज़रूरत और सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी जेण्डर, उम्र या विकलांगता के लोग हों।

निम्न बातों का ध्यान रखें:

1. निगरानी या जांच के दौरान किन पहलुओं को देखना है:

» सड़कों की हालत
» फुटपाथों की दशा
» साइनेज या दिशा निर्देश, नक्शे
» खाली जगहें
» बत्तियों की संख्या, क्या वे जलती हैं, क्या पेड़-पौधे बत्तियों को ढके हुए हैं?
» सार्वजनिक शौचालय
» जगह का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है?
» जगह को कौन इस्तेमाल करता है?
» क्या जगह को अलग-अलग समय पर अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है?
» उपलब्ध सेवाएं-फोन आदि
» करीबी पुलिस वैन या चैक पोस्ट
» सुरक्षा गार्ड

2. असुरक्षा बढ़ाने वाले कारणों को लिखें:

» आप किस जगह पर कब असहज महसूस करती हैं?
» क्या यहां आपने कुछ नकारात्मक सुना या अनुभव किया है?
» अगर आप मदद के लिए पुकारें तो क्या यहां कोई सुन पाएगा?
» क्या यहां कोई आपकी मदद करेगा?
» कौन से बदलाव आने पर आप इस जगह पर सुरक्षित महसूस करेंगी?
» यहां सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में कौन अहम भूमिका निभा सकता है?

क: सेफ़्टीपिन ऐप का उपयोग करके ऑडिट:

सेफ़्टीपिन ऐप एक मैप आधारित मोबाइल एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म (एक्टिव लर्निंग साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित व प्रबंधित) है जो बड़े पैमानें में सुरक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करके उपलब्ध कराता है, ताकि शहर और गांव महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित हो सकें। यह अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आंकड़े और उनके विश्लेषण उपलब्ध कराता है, ताकि सरकार, योजनाकार और दूसरे हितधारक इन आंकड़ों को और उसके विश्लेषण की मदद लेकर शहरों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठा सकें। इस जियो-टैगेड ऐप के पास, दिन के साथ-साथ रात के समय की तस्वीरें एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का एक अनूठा तरीका है।

उद्देश्यः

» सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा संबंधी प्रमुख चिंताओं की पहचान करने के लिए सबूतों पर आधारित सुरक्षा संबंधी जानकारी एकत्र करना।

» सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने पर सुझाव देने के लिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण।

» सेफ़्टीपिन का प्लेटफॉर्म, आंकड़े एकत्र करने के लिए पूरी तरह से मदद करने वाला वेब और मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करता है।

माई सेफ़्टीपिन ऐपः

माई सेफ़्टीपिन ऐप एंड्रॉइड और एप्पल फ़ोन पर आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक निःशुल्क एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के मूल में महिला सुरक्षा ऑडिट है। सुरक्षा ऑडिट पर 20 वर्षों के वैश्विक अनुभव के आधार पर, 8 महत्वपूर्ण पैरामीटर यानी कि रोशनी, फुटपाथ, सार्वजनिक परिवहन, दृश्यता, खुलापन, भीड़भाड़, जेण्डर विविधता और सुरक्षा जो सुरक्षा धारणाओं को परिभाषित करते हैं, तय किए गए हैं। ख़ासतौर पर नौ पैरामीटर- 'खुद कैसा महसूस हो रहा है, ये सभी मिलकर सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की धारणा को समझने में मदद करते हैं।' इन नौ मापदंडों के आधार पर एक स्थान का ऑडिट किया जाता है। हरेक सुरक्षा ऑडिट का परिणाम उस स्थान पर उपलब्ध विशिष्ट जियोटैग्ड पिन पर दर्ज होता है,। इसमें समय और तारीख़ भी दर्ज़ होता है।

सुरक्षा ऑडिट के परिणाम, क्षेत्रों और उसके आसपास की जगहों के लिए 'सुरक्षा स्कोर' हेतु एकत्र किए जाते हैं। उपयोगकर्ता ऑडिट करते समय टिप्पणियां और तस्वीरें जोड़ सकते हैं। वे खराब, बिना रोशनी, टूटे या फुटपाथ पर बाधायें, खुली तारों आदि जैसी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। यात्रा करने से पहले वे समय, सुरक्षित या असुरक्षित जगहों को देखने के लिए सुरक्षा ऑडिट देख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। उपयोगकर्ता अपनी भावनाओं को किसी ख़ास जगह पर पोस्ट भी कर सकता है। इस एप्लिकेशन की जानकारी ख़ासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों पर केन्द्रित है, वे कारक जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं उन्हीं को आधार बना कर यह टूल सुरक्षा जांच करता है। इस एप्प के इस्तेमाल से सड़क के स्तर पर भीड़ आधारित आंकड़े उपलब्ध कराता है और आम लोगों का जुड़ाव भी इससे बनाता है।

अपेक्षित समयः

एक सुरक्षा ऑडिट में लगभग 1-2 मिनट का समय लगेगा। यदि पूरे शहर या गांव के विस्तार से ऑडिट की योजना है तो यह समय, क्षेत्र के आकार, सार्वजनिक स्थानों की संख्या और ऑडिट करने वालों की संख्या आदि पर निर्भर करेगा।

कदमः

» सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन पर 'माई सेफ़्टीपिन' ऐप डाउनलोड करें। यह गूगल प्लेस्टोर और एप्पल में मुफ़्त उपलब्ध है।

» ऐप का उपयोग करने के लिए, यह सुनिश्चत करना ज़रूरी है कि आपका जी.पी.एस. चल रहा हो, इंटरनेट सुविधा हो और फ़ोन चार्ज हो।

» ऐप की होम स्क्रीन पर, 'एक सुरक्षा ऑडिट करें, विकल्प चुनें।

» यह आपको ऑडिट स्क्रीन पर ले जाएगा जहां सभी 9 ऑडिट पैरामीटर की लिस्ट है। एक पैरामीटर का चयन करने पर, रेटिंग स्केल दिखाई देता है।

» एक बार सभी पैरामीटर का मूल्यांकन हो जाने के बाद, तस्वीरें लेना ज़रूरी है। ऑडिट किए गए स्थान की अधिकतम 5 तस्वीरें ली जा सकती हैं।

» ऑडिट की जांच करने वाले की टिप्पणी के तौर पर अतिरिक्त जानकारी इसमें डाली जा सकती है।

» इसके बाद, ऑडिट पूरा हो गया है और इसे सबमिट या जमा किया जा सकता है।

» ऑडिट करने वाला व्यक्ति 'मानचित्र देखें' विकल्प का चयन करके अपने स्कोर को देख सकता है। यह आपको एक नक्शे पर ले जाएगा जहां आप पिन पर क्लिक कर सकते है, और फिर अपने ऑडिट को देखने के लिए माई पिन का चयन कर सकते हैं।

आवश्यक सामग्रीः

एक सक्रिय इंटरनेट कनेंक्शन के साथ एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल फोन।

सुझावः

अक्सर यह देखा गया है कि ऑडिट टीम 8 मापदंडों का जवाब देने पर ही अपना पूरा ध्यान लगा देती है, जो कि आपको संख्या में आंकड़े उपलब्ध कराता है। टिप्पणी वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जो स्थान की वास्तविक स्थिति को बताता है। संतुलित रिपोर्ट या परिणाम के लिए ज़रूरी है कि टिप्पणी वाला हिस्सा भी भरा जाए और ऑडिट करने वाला व्यक्ति उस जगह के बारे में और स्पष्ट करके अपने विचार भी बताए।

खः सेफ्टीपिन नाइटः

उद्देश्यः

शहर की सभी मुख्य सड़कों के साथ-साथ कुछ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को तस्वीरों के माध्यम से मैपिंग या मानचित्रित करता है। यह एक सार्वजनिक ऐप नहीं है और इसे केवल प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ साझा किया जाता है।

कदमः

» इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आंकड़े एकत्र करने के लिए, कार और ड्राइवर की व्यवस्था करें और ऑडिट मार्ग की जानकारी दें।

» कार/टैक्सी की विंडशील्ड पर फोन रख दें।

» जैसे ही कार चलती है, ऐप खुद बखुद जगह को दर्ज़ करते हुए तस्वीरें लेगा। एक बार शुरू होने के बाद, एप हर 50 मीटर पर लैंडस्केप मोड में तस्वीरें लेता है।

» इस प्रकार ली गई तस्वीरों को सेफ़्टीपिन पोर्टल पर देखा जाता है और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मापदंडों की एक विस्तृत कड़ी पर कोडित किया जाता है।

» इन आंकड़ों का फिर विश्लेषण किया जाता है, ताकि सिफ़ारिशें की जा सकें।

सामग्रीः

» सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन वाला स्मार्ट फोन	» फोन के लिए कार चार्जर
» फोन रखने के लिए एक माउंट	

अनुमानित समयः

सेफ़्टीपिन नाइट का उपयोग करके आंकड़े एकत्र करने के लिए कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी तक का ऑडिट कर रहे हैं, समय कौन सा है, गाड़ियां कितनी हैं आदि।

सुझावः

आंकड़े एकत्र करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में ड्राइवर को जानकारी दें। जैसे ऐप कैसे चलाना है, गाड़ी की गति सीमा कितनी होनी चाहिए और दूसरी अन्य तकनीकी निर्देश।

गः ओपन सेफ़्टी ऑडिट मैपिंग (ओएसएएम)

यह टूल 'सेफ़्टीपिन' का ही एक हिस्सा था जिसे जागोरी ने सीखा और अपने कामों में शामिल किया। यह टूल एक तरह से महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों को डिज़ाइन करने में समुदाय की सहभागिता को बढ़ाता है। सबसे पहले हम सुरक्षा पिन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके या मैनुअल, वॉलंटियर्स की मदद से किसी सार्वजनिक जगह का सुरक्षा ऑडिट करते हैं। उस ऑडिट के परिणाम और विश्लेषण को खुले में संबंधित समुदाय के सामने मानचित्र के साथ रखते हैं। मानचित्र को एक कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर

स्थानीय समुदाय के लोग उन परिणामों पर अपनी राय रखते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अन्य हितधारकों को भी आने और ऑडिट से मिले आंकड़ों को देखने अपनी राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

कदमः

» स्थानीय समुदाय के सदस्यों की पहचान करें जो इसमें भाग ले सकते हैं।

» सार्वजनिक जगह (स्थानीय बाज़ार, पार्क आदि) की पहचान करें और यह भी पता करें कि ये जगह कौन से समय में सबसे ज़्यादा व्यस्त होती हैं।

» अपने लक्षित ऑडियन्स की पहचान करें, उन्हें ही ध्यान में रखकर अपने सवाल तैयार करें।

» प्रमुख हितधारक को इस योजना के बारे में सूचित करें, उन्हें इस पहल का हिस्सा बनायें।

» सुरक्षा ऑडिट मैप को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करें। वहां सुरक्षा ऑडिट मैप को लगायें।

» हितधारकों से प्रतिक्रिया लें।

» पूरी प्रक्रिया का फ़ोटो दस्तावेज बनाएं।

» स्थानीय समुदाय के सदस्यों के समूह की पहचान करें, जो इसमें भाग ले सकते है।

» ओ.एस.ए.एम. के दौरान सामने आई सिफ़ारिशों के आधार पर समुदाय कार्य योजना तैयार करें समुदाय के साथ बैठकें व चर्चा करें।

» नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रिपोर्ट करें।

» उनका समर्थन मांगें।

» हितधारकों के साथ बैठकें करना, मुद्दों को उठाना।

» सोशल मीडिया पर प्रगति के बारे में जानकारी दें।

अनुमानित समयः तीन घंटे

सामग्री की आवश्यकताः	
» शहर का नक्शा	» सुरक्षा ऑडिट मैप
» पेन/हाइलाइटर्स	» सर्वे संबंधी प्रश्न

5. सांप और सीढ़ी का खेल

प्रचलित सांप और सीढ़ी के खेल को सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के साथ जोड़ते हुए टूल की तरह तैयार किया गया है। इस टूल में सांप और सीढ़ी के खेल की ही तरह सांप और सीढ़ी

मौजूद है, खेलना भी उसी तरह है जैसे सांप-सीढ़ी का खेल खेला जाता है। खेल-खेल में सुरक्षा का यह मुद्दा सभी सहभागियों के ज़ेहन में गंभीरता से आ जाए, यह इस टूल का मकसद है।

उद्देश्यः

» सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा के रूपों की पहचान करना।

» सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा से निपटने के लिए बने कानूनों के संदर्भ में समझ विकसित करना।

कदमः

» एक खुली जगह की पहचान करें और सांप सीढ़ी के फ़्लेक्स को ज़मीन पर फैलाएं।

» आसपास खड़े लोगों या प्रतिभागियों को खेलने के लिए आमंत्रित करें और बाकियों को खिलाड़ियों की मदद करने के लिए आमंत्रित करें।

» प्रतिभागी पासे को घुमाएंगे और पासे के ऊपर दिखाई गई संख्या के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

» पासे में एक या छह आने पर खेल की शुरुआत होती है।

» खिलाड़ी जब किसी बयान वाले नंबर पर पहुंचे तब उस बयान को जोर से पढ़ कर सुनाएं। इनमें से कुछ बयान ऐसे हैं जो महिलाओं को सुरक्षित और समावेशी अधिकारों के बारे में जागरुक करते हैं।

» कुछ बयान हैं जो मौजूदा पितृसत्तात्मक मानसिकता की वज़ह से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं।

» इन बयानों को वहां रखा जाएगा जहां सांप का सिर है, खिलाड़ी अगर इन नंबर पर पंहुचता है तो उसे नीचे की तरफ़ खिसकना होगा।

» कुछ बयान महिला हिंसा से बचाव के लिए बने कानूनों व हेल्पलाइन से संबंधित हैं।

» इन बयानों पर चर्चा में अन्य प्रतिभागियों को भी शामिल करें।

अनुमानित समयः 2 घंटे

आवश्यक सामग्रीः

» सांप और सीढ़ी फ़्लैक्स जिसमें बयान या नियमित गेमबोर्ड और अलग से लिखे हुए बयान हों।

» पासा।

सुझावः

महिलाओं की सुरक्षा, हिंसा के डर, हिंसा के प्रकारों की मूल अवधारणा को स्पष्ट करें-जिसमें सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मौजूदा कानूनी तंत्र और शहर या सार्वजनिक जगहों तक पहुंचने में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवहन की भूमिका शामिल है।

न्यूनतम प्रतिभागियों की संख्याः एक बार में 3-4

संभावित बयानों की सूचीः

» सार्वजनिक जगह वे हैं जो खुली हैं और सभी के लिए सुलभ हैं।

» सार्वजनिक जगहों पर हिंसा होती है।

» जब कोई हिंसा हो रही हो, तो मेरी सुरक्षा के लिए या संबंधित मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर पता है।

» मुझे वह लड़की पसंद है और इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूं।

» मैं अपने बेटे और बेटी को बाहर पार्क में खेलने के लिए भेजता या भेजती हूं।

» अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, तो उसके लिए सीटी बजाना, यह सामान्य है।

» अगर आपका बेटा किसी लड़की को परेशान करता है तो आप उसे समझाते हो कि यह गलत है।

» उसका यौन उत्पीड़न किया गया, क्योंकि वह खुले में शौच कर रही थी।

» इस डर से कि कहीं रास्ते में बेटी को किसी प्रकार के उत्पीड़न को न झेलना पड़े, बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया।

» महिला या लड़की को देख कर सीटी बजाना यौन उत्पीड़न है।

» हम लड़कियों को देख कर सीटी बजाते हैं, लड़कियों को ये अच्छा लगता है।

» अंधेरा होने के बाद आपको लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए।

» महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा को ख़त्म करना सबकी ज़िम्मेदारी है।

6. बिंदी अभ्यासः

उद्देश्यः

» बिंदियों का उपयोग करके सुरक्षित और असुरक्षित सार्वजनिक जगहों का नक्शा बनाना।

» दिन के अलग-अलग समय पर सार्वजनिक स्थानों के जेंडर उपयोग को समझना।

कदमः

» इस अभ्यास को करने के लिए खुली जगह की पहचान करें।

» प्रतिभागियों से एक चार्ट पेपर पर उन सभी सार्वजनिक जगहों की सूची बनाने के लिए कहें, जहां वे दिन में जाते हैं-वे जगहें जो उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए मॉल/दुकानें, गलियां, अस्पताल, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पैट्रोल पंप आदि।

» सहजकर्ता को चार्ट पेपर पर एक नक्शा बनाना चाहिए और प्रतिभागियों द्वारा सूचीबद्ध इन सभी सार्वजनिक जगहों पर निशान लगायें।

» दीवार पर नक्शा प्रदर्शित करें, जहां से हर कोई इसे देख सके।

» प्रतिभागियों को चार समूह में विभाजित करें जहां से हर कोई इसे देख सके।

» प्रत्येक समूह को निम्नलिखित में से एक प्रश्न सौंपें और अपने-अपने समूहों में चर्चा करने के लिए 15 मिनट का समय दें:

1. ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पुरुष दिन में जाते हैं?
2. ऐसे कौन से स्थान हैं जहां महिलाएं दिन में जाती हैं?
3. ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पुरुष रात को जाते हैं?
4. ऐसे कौन से स्थान हैं जहां महिलाएं रात को जाती हैं?

एक बार चर्चा हो जाने के बाद प्रत्येक समूह से दो लोगों को आ कर नक्शे में अपनी चर्चा के आधार पर बिंदी लगाने के लिए आमंत्रित करें। प्रतिभागियों को समझाएं कि लाल रंग की गोलाकार बिंदी दिन में महिलाओं का प्रतीक है, काले रंग की गोलाकार बिंदी रात में महिलाओं का प्रतीक हैं, लाल रंग की त्रिकोणीय बिंदी दिन के दौरान पुरुष का प्रतीक है, और काले रंग की त्रिकोणीय बिंदी रात के दौरान पुरुषों का प्रतीक हैं।

सार्वजनिक जगहों के महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस्तेमाल में अंतर दिखाई पड़ता है, और इसकी क्या वज़ह है? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित कर रहे हैं? महिलाएं सार्वजनिक जगहों तक अपनी पहुंच क्यों नहीं बना पा रही हैं? उनके संभावित कारणों जैसे हिंसा का डर, शहर या सार्वजनिक जगहों की योजना में महिलाओं की सुविधाओं या ज़रूरतों का ध्यान न रखना, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के साथ, सड़क, परिवहन की व्यवस्था, अंतिम मील कनेक्टिविटी को चिन्हित कर सत्र को समाप्त करें।

सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के गहन विश्लेषण के लिए प्रतिभागियों को अपने क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रोत्साहित करें।

सामग्री की आवश्यकताः चार्ट पेपर, स्केच पेन, व्हाइट बोर्ड,

अनुमानित समयः 2 घंटे

प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्याः 12 (एक समूह में 3)

सुझावः

» सहजकर्ता को प्रतिभागियों को सार्वजनिक जगहों तक पहुंचने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई प्रतिभागी अपने उत्पीड़न को साझा करता है, तो गंभीरता पूर्वक, ध्यान से सुनना चाहिए, उसे शांत होने का समय देना चाहिए।

» सहजकर्ता को प्रतिभागियों को यह समझाना चाहिए कि कैसे जेण्डर अन्य पहचानों-उम्र, जाति, वर्ग, विक्लांगता के साथ जुड़ जाती हैं, और ज़रूरतों में अंतर आ जाता है। सुरक्षित सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने के लिए इन पहचानों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महिला सुरक्षा ज़ांच

ट्रेनिंग टूल्सः

पिछले कुछ सालों में, जागोरी ने महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और समावेशी शहरों पर समुदाय के सदस्यों, सहजकर्ताओं, और अन्य हितधारकों की क्षमता और कौशल बनाने के लिए कई टूल्स तैयार किए और कई पुराने टूल्स में बदलाव किए। जागोरी ने इस लक्ष्य के साथ सामुदायिक जुड़ाव को डिज़ाइन और पायलट किया है, गैर सरकारी संगठनों, सी.बी.ओ., सरकार के साथ नारीवादी ट्रेनिंग किया है। विभागों, कॉलेज के छात्राों, कॉरपरेट संस्थानों आदि और नारीवादी कार्यकर्ताओं/नेताओं/
अधिवक्ताओं का कैडर बनाया है। जागोरी अपने सभी ट्रेनिंग के लिए नारीवादी तरीके के साथ सहभागितापूर्ण सिखाने का नज़रिया अपनाती हैं। प्रतिभागियों को उनकी अपनी निजी स्थितियों और समुदाय, समाज और देश के व्यापक संदर्भों पर चर्चा, चिंतन और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुद्दों के बारे में सोचने, चर्चा करने, पढ़ने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए अलग–अलग तरह के अम्यास आयोजित किए जाते हैं। ट्रेनिंग में शमिल होने वाले प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की सामग्री तैयार की जाती है। जागोरी ने विभिन्न संसाधनों जैसे, फ़िल्म, बैनर, स्टीकर, किताबें, गीत, पोस्टर, हैंडबुक्स, ट्रेनिंग किट, गीत की किताबें आदि का निर्माण किया और संग्रहित किया है। इनका ज़रूरत के अनुसार ट्रेनिंग में सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जागोरी का मानना है कि ट्रेनिंग के पहले और बाद में, ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

भारतीय दण्ड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 294, 354, 509 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दण्डनीय अपराध है।

Safe Cities and Villages

सुरक्षित शहर और गांव

100 महिला हिंसा का विरोध हम सबकी ज़िम्मेदारी	**99** जब लड़की छोटे कपड़े पहनेगी, लड़के तो सीटी मारेंगे ही	**98**	**97**	**96**	**95**	**94** हमारा सीटी बजाना और गाने गाना लड़कियों को भी अच्छा लगता हैं	**93**	**92**	**91** महिला या लड़की को देखकर सीटी मारना यौन उत्पीड़न है
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88** रास्ते में छेड़खानी हो जाने के डर से मैंने अपनी बेटी का स्कूल छुड़वा दिया।	**89**	**90**
80	**79**	**78**	**77**	**76**	**75**	**74**	**73**	**72**	**71** वो खुले में शौच कर रही थी इसीलिए उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ
61	**62**	**63**	**64**	**65**	**66** हमारा बेटा यदि किसी लड़की को छेड़ता है तो हम उसे समझाते है कि ये अपराध है।	**67**	**68**	**69**	**70**
60	**59**	**58**	**57**	**56**	**55** अंधेरा होने पर लड़की को बाहर नहीं भेजते	**54**	**53**	**52**	**51**
41	**42** मैं अपनी बेटी और बेटे दोनों को बाहर खेलने भेजती हूँ	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
40	**39**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**
21	**22**	**23**	**24** मुझे वो लड़की पसन्द है इसलिए मै उसका पीछा करता हूँ	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
20	**19**	**18**	**17**	**16**	**15** हिंसा होने पर मदद के लिए मुझे हेल्प लाईन नंबर पता है	**14**	**13**	**12**	**11**
1 पार्क सार्वजनिक स्थल है वो सबके उठने बैठने के लिए है।	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8** सार्वजनिक स्थल पर हिंसा होती है	**9**	**10**

आओ मिलकर शहर और गांव को सुरक्षित बनाएं
एक साझा प्रयास, महिला सुरक्षा की ओर!

जागोरी JAGORI 30 years 1984-2014

बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फ़ोनः 011.26691219/26691220 फ़ैक्सः 011 26691221
हैल्पलाइनः 26692700, 8800996640
Email: jagori@jagori.org
Website: www.jagori.org; www.safedelhi.in; www.livingfeminisms.org